कार्यक्रम का नाम : सिविल वर्क (Civil Work)

FMR CODE:-I.1

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार एक डी0एम0सी0 एक लाख की आबादी पर तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक डी0एम0सी0 पचास हजार की आबादी पर होनी चाहिए। एक टी0यू0 पॉच लाख की आबादी पर तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दो लाख पचास हजार की आबादी पर होनी चाहिए जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक टी.यू. के जिर्णोद्धार में अधिक से अधिक पैतीस हजार, एक डी.एम.सी. में तीस हजार, एक जिला यक्ष्मा केन्द्र में एक लाख पचास हजार रूपये, डाट्स प्लस साइट के लिए दस लाख, का एक बार का प्रावधान है तथा जहॉ जिला यक्ष्मा केन्द्र नहीं है वहॉ चार लाख रूपये तक खर्च कर सकते हैं। मरम्मती के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक डी.एम.सी. को एक हजार, टी.यू. ड्रग स्टोर को एक हजार तीन सौ, डाट्स प्लस साइट के लिए पच्चहत्तर हजार रूपये तथा जिला यक्ष्मा केन्द्र को चार हजार पॉच सौ रूपये का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : प्रयोगशाला सामग्री एवं रसायन (Lab Conumables)

बजट – एन0आर.0एच0एम0– डी0 (NRHM-D)

FMR CODE:-I.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संषोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बलगम जॉच हेतु उपयोग में आने वाले प्रयोगषाला सामग्री की आवष्यकता माइक्रोस्कोपी सेन्टर में होती है जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन के आबादी पर एक लाख पचास हजार रूपये तक प्रयोगषाला सामग्री/रसायन पर खर्च करने का प्रावधान है।
राज्य स्तर पर कार्यक्रम के उपयोग में आने वाले सभी तरह के प्रयोगषाला रसायन/सामग्री का दर निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है फिर भी समय पर दर निर्धारण न होने की स्थिति में जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रयोगषाला रसायन सामग्री का क्रय जिला स्तर पर क्रय नियमो का पालन करते हुए की जा सकती है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली
   उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : ऑनोरेरियम (Honorarium)

FMR CODE:-I.3.A

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार डॉट्स प्रोवाईडर जो केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वेतन नहीं पाते हैं उन्हें प्रोत्साहन भत्ता देने का प्रावधान है। उदाहरणतह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/प्रषिक्षित दाई/ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता/कम्यूनिटी वॉलेन्टीयर/आषा इत्यादि। जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रति यक्ष्मा रोगी को रोग मुक्त होने अथवा पूरी दवा खिलाने के पष्चात् 250/– रूपये डॉट्स प्रोवाईडर को देने का प्रावधान है।

संलग्न :–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या&Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : प्रचार–प्रसार (IEC/Publicity)

FMR CODE:-I.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी :–

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैनर/पोस्टर, वॉल पेंन्टिंग, होल्डिंग, पम्पलेट, माईक प्रचार, नुक्कड़ सभा इत्यादि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की जाती है जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन के आबादी पर प्रति वर्ष पचहत्तर हजार रूपये खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : इक्यूपमन्ट मेन्टेनेन्स (Equipment Maintenance)

FMR CODE:-I.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार कार्यलय में उपयोग होने वाले कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस./स्कैनर/फैक्स/फोटोकॉपी मषीन/ए0सी0/बाईनोकुलर माईक्रोस्कोप इत्यादि की मरम्मती का प्रावधान है जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक माईक्रोस्कोप पर अधिक से अधिक एक हजार पॉच सौ रूपये तथा कम्प्यूटर/प्रिंटर/यू.पी.एस./स्कैनर/फैक्स/फोटोकॉपी मषीन/ए0सी0/ओवरहेड प्रावेजेक्टर की मरम्मती पर ज्यादा से ज्यादा तीस हजार रूपया प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान है। उपकरण का वार्षिक रख–रखाव अनुबंध (AMC) करना अनिवार्य है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : प्रशिक्षण (Training)

FMR CODE:-I.6

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यक्ष्मा कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रषिक्षण दी जाती है जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रषिक्षण एंव पुनः प्रषिक्षण तथा समीक्षात्मक बैठक के लिए जिला स्तर पर एक मिलियन की आबादी पर 55000/– रूपये खर्च करने का प्रावधान है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी प्रषिक्षण संबंधी वित्तीय दिषा निर्देष का पालन किया जायगा।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या.Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : वेहिकल मेन्टेनेन्स (Vehicle Maintenance)

FMR CODE:-I.7

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, एम0ओ0टी0सी0, एस.टी. एस/एस.टी.एल.एस द्वारा किय गये सुपरवाईजरी विजिट तथा क्षेत्र भ्रमण के लिए उपयोग में लाये गये वाहन की मरम्मती एवं पी0ओ0एल0 पर आने वाले खर्च इस मद से करने का प्रावधान है, जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार दो पहिया वाहन के लिए 25000/– रूपये तथा चार पहिया वाहन के लिए 125000/– रूपये खर्च करने का प्रावधान है। गाड़ी के मेन्टेनेन्स का वार्षिक रख–रखाव कराना अनिवार्य है।

संलग्न :–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : वेहिकल हॉयरिंग (Vehicle Hiring)

FMR CODE:-I.8

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार आर0एन0टी0सी0पी0 या राज्य सरकार द्वारा गाड़ी उपलब्ध नहीं रहने पर सुपरविजन के लिए एम0ओ0टी0सी0 को एक माह में सात दिन तथा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को पच्चीस दिन के लिए किराये पर गाड़ी लेने का प्रावधान है,जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एम0ओ0टी0सी0 एवं जिला यक्ष्मा पदाधिकारी को 750/– रूपये प्रतिदिन तथा आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 850/– रूपये प्रतिदिन के दर से किराये पर गाड़ी लेने का प्रावधान है। इसे क्रय नियमो का पालन करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से की जाएगी।

संलग्न :–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नामः एन0जी0ओ0 / पी0पी0 सपोर्ट (NGO/PP Support)

FMR CODE:-I.9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :–

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं को इस कार्यक्रम के लिए सहयोग के रूप में कार्य ली जाती है। जो एक स्कीम के तहत कार्य करती है। जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली एवं रिवाईज्ड स्कीम फॉर एन0जी0ओ0 एंड प्राईवेट प्रोवाईडर 2008 के अनुसार–

क.	ए.सी.एस.एम. स्कीम के तहत	–	1,50,000 / – प्रति मिलियन प्रतिवर्ष
ख.	एस.सी. स्कीम के तहत	–	60,000 / – प्रति सेन्टर प्रतिवर्ष
ग.	ट्रांसपोर्ट स्कीम के तहत (चिनजनउ च्पबा.नच दक ज्तंदेचवतजमत मतअपबमे)		– 24,000 / – प्रतिवर्ष न्यूनतम 20 विजिट पर
घ.	डी.एम.सी. स्कीम	–	1,50,000 / – प्रतिवर्ष
ड़	एल.टी. स्कीम	–	एल.टी. का मानदेय तथा 5 प्रतिशत ओवर हेड एवं भर्ती का खर्च एक महीने के मानदेय के बराबर
च.	कल्चर एंड डी.एस.टी. स्कीम	–	डी.एस.टी. के लिए 2,000 / – प्रति सेम्पल Species Identification के लिए 4,000 / – प्रति सेम्पल
छ.	।कीमतमदबम बीमउम	–	एन.जी.ओ. के लिए 40,000 / – रूपया प्रति लाख की आबादी पर Cat-I, Cat-II, Cat-III के लिए 250 / – रूपया प्रति मरीज दवा खिलाने के लिए Cat-IV के लिए 2,500 / – रूपया प्रति मरीज दवा खिलाने के लिए पी0पी0 को 400 / – रूपये प्रति मरीज
ज.	स्लम स्कीम	–	50,000 / – रूपया प्रति बीस हजार की आबादी पर
झ.	टी0यू0 मोड्यूल	–	Grant-in-Aid Startup 4,00,000 / – रूपया 5,30,000 / – रूपया Annual Assistance
ञ.	टी.बी. एच.आई.भी. स्कीम	–	1,20,000 / – प्रति एन.जी.ओ. एक हजार टारगेट आबादी

संलग्नः–

1. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली एवं रिवाईज्ड स्कीम फॉर एन0जी0ओ0 एंड प्राईवेट प्रोवाईडर 2008
2. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
3. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
4. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
5. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी / सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : विविध (Miscellaneous)

FMR CODE:-I.10

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी :–

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय में आने वाले खर्च विविध मद से करने का प्रावधान है, जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन की आबादी पर 150000/–रूपये तक इस मद में खर्च करने का प्रावधान है।

संलग्न :–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

1605

कार्यक्रम का नामः संविदा सेवाएँ (Contractual Services)

FMR CODE:-I.11

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :–

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग के रूप में संविदा के आधार पर कर्मियों को नियुक्त करने का प्रावधान है, जो कि एक वर्ष के लिए होती है। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर पॉच प्रतिशत की वृद्धि इनके मानदेय में करते हुए पुनः एक वर्ष/छः माह के लिए संविदा पर नियुक्ति का प्रावधान है, जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शनः–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार सविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों का संषोधित मानदेय दिनांक–01.04.2009 निर्धारित है, जो निम्न प्रकार है–

क.	चिकित्सा पदाधिकारी	–	28,000/– प्रतिमाह
ख.	एस.टी.एस./एस.टी.एल.एस.	–	12,000/– प्रतिमाह
ग.	डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	–	8,500/– प्रतिमाह
घ.	टी0बी0एच0भी0	–	8,000/– प्रतिमाह तथा 750/– परिवहन भत्ता
ड़	ड्राईवर	–	7000/– प्रतिमाह
च.	प्रयोगशाला प्रावैधिक	–	8,500/– प्रतिमाह
छ.	पार्ट–टाईम एकांउन्टेन्ट	–	3,000/– प्रतिमाह
ज.	सिनियर डॉट प्लस – टीबी–एच0आई0भी0 सुपरवाइजर	–	15000/– प्रतिमाह

संलग्न :–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : प्रिंटिंग (Printing)

FMR CODE:-I.12

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार विभिन्न प्रकार रिपोर्ट के विहित प्रपत्र यक्ष्मा से संबंधित रजिस्टर एवं पुस्तिका की छपाई की जाती है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम के उपयोग में आने वाले सभी तरह के रजिस्टर एवं प्रपत्रों की छपाई का निर्णय लिया गया है फिर भी समय पर उपलब्ध न होने की स्थिति में जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकती है।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार एक मिलियन की आबादी पर 150000/–रूपये तक इस मद में खर्च करने का प्रावधान है। राज्य स्तर पर छपाई किये जाने की स्थिति में जिलों को आवंटित राषि से अनुपातिक कटौती की जाएगी।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : चिकित्सा महाविद्यालय (Medical College)
FMR CODE:-I.14

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले CME/Workshop/STF की बैठक का व्यय इस मद से किया जाता है। नोडल पदाधिकारी (आर.एन.टी.सी.पी) एवं चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक इस मद से व्यय का आकलन एंव प्रतिवेदन जिला स्वास्थ्य समिति तथा राज्य स्तर को प्रेषित् किया जाता है। इस मद से चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत आर.एन.टी.सी. पी. संविदा कर्मीयों के मानदेय का भुगतान नोडल पदाधिकारी एवं अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार 20,000/– रूपये प्रति थेसिस प्रति मेडिकल कॉलेज प्रति वर्ष 5000/– रूपये प्रतिवर्ष CME/Workshop के लिए तथा 50,000/– रूपये प्रति कान्फ्रन्स जो एक वर्ष मे चार बार की जाती है के लिए खर्च करने का प्रावधान है। यह राशि अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय को दी जाती है तथा इस राशि की निकासी अधीक्षक एवं नोडल पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ वेहिकल (Procurement of Vehicle)

FMR CODE:-I.15

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के वित्तीय नियमावली के अनुसार कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एस0टी0एस0/एस0टी0एल0एस को क्षेत्र भ्रमण के दो पहिया वाहन की आवष्यकता होती है जिसका क्रय इस मद से करने का प्रावधान है जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकती है।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार दो पहिया वाहन के लिए अधिक से अधिक 50,000/– रूपये तक प्रति वाहन क्रय करने का प्रावधान है तथा वाहन के बदलने के लिए कम–से–कम छः वर्ष तक चलाया जाना अथवा एक लाख कि0मी0 तक चलाया जाना अनिवार्य है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383/ 09801147117

कार्यक्रम का नाम : प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ इक्यूपमेन्ट **(Procurement of Equipment)**

FMR CODE:-I.16

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार कार्यलय में उपयोग होने वाले कम्प्यूटर/ मॉडेम/ प्रिंटर/यू.पी.एस./सॉफ्टवेयर क्रय करने का प्रावधान है, जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्यान्वित की जायेगी।

इकाई लागत :–

वित्तीय मार्गदर्शन :–

आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली के अनुसार 60,000/– रूपये तक प्रति कम्प्यूटर (सॉफ्टवेर सिस्टम सहित) क्रय करने का प्रावधान है। आठ वर्षों के बाद ही कम्प्यूटर सिस्टम को बदला जा सकता है।

संलग्नः–

1. केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, नई दिल्ली का पत्र संख्या–Z-28015/10/2008(T.B.) दिनांक–14.12.2009
2. आर.एन.टी.सी.पी. वित्तीय नियमावली
3. आर.एन.टी.सी.पी. प्रोक्यूरमेन्ट मैनुअल
4. जिला स्तरीय नियमावली

उक्त निर्देषिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा0 ए0 के0 गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :– 0612. 2636383 / 09801147117